

मुकदमों का विवरण

भागवान सिंह

बी.

दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और एक और (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2560)

23 अगस्त, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को नाबालिग लड़की के चाचा द्वारा सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत देने में न्यायसंगत ठहराया गया था, बलात्कार का वीडियो रिकॉर्ड करने की धमकी और जबरन वसूली दंडनीय है। 376 डी, 384,506 भारतीय दण्ड संहिता, पाँक्सो अधिनियम की धारा 3 से 6, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) और धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 439 - जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ - जमानत की मंजूरी - 15 वर्ष की आयु की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप, बलात्कार का वीडियो रिकॉर्ड करने की धमकी और जबरन वसूली - शिकायतकर्ता - चाचा द्वारा नाबालिग लड़की के लिए प्राथमिकी दर्ज करना दंडनीय है। 376 डी, 384,506 भारतीय दण्ड संहिता, पाँक्सो अधिनियम की धारा 3 से 6, 1989 के अधिनियम की धारा 3 (2) (v) और धाराएं 66 तीन अभियुक्तों, वर्तमान विधायक का एक पुत्र, दूसरा एक परिचित और तीसरा उस होटल के प्रबंधक के खिलाफ 2000 अधिनियम - उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की मंजूरी - न्यायसंगत उद्धरण:

आयोजित किया गया: तत्काल मामला एक जघन्य मामला है और यह स्त्रीत्व की गरिमा पर एक हमला होगा - पीड़ित के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, जो सेवा के पदानुक्रम में बहुत नीचे थे - अभियुक्तों में से एक मौजूदा विधायक का बेटा था और एक अन्य अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रतीत होता है और तीसरा अभियुक्त उस होटल का प्रबंधक था जहां कथित सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी - अपराध में 13 महीने की देरी के लिए कारण सौंपा गया था - शिकायत में आरोपी व्यक्तियों द्वारा बलात्कार के वीडियो को वायरल करने की लगातार धमकी दी गई थी, विशेष रूप से दबंग स्थिति में होना - तथ्य

[illegible]

[illegible]

अनुसंधान दअनुसंधान ाअनुसंधान लअनुसंधान तअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान
ेअनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान रअनुसंधान ोअनुसंधान पअनुसंधान अनुसंधान
तअनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान एअनुसंधान ,अनुसंधान
अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान थअनुसंधान मअनुसंधान अनुसंधान
दअनुसंधान ृअनुसंधान षअनुसंधान ्अनुसंधान टअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान
अनुसंधान आअनुसंधान रअनुसंधान ोअनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान
कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान भअनुसंधान ाअनुसंधान
वअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान औअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान
उअनुसंधान चअनुसंधान िअनुसंधान तअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान
दअनुसंधान ेअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान
खअनुसंधान ुअनुसंधान लअनुसंधान ाअनुसंधान सअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान
कअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान ।अनुसंधान 376 डी, 384,506-यौन
अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 -अनु. 3 से 6-अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 -धारा 3 (2) (v)-सूचना
प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 -एस. 66.[पैरा 17,20-21,23-28]

जमानत-अनुदान-मानकों पर विचार किया जाना चाहिए:

आयोजित किया गया:जमानत देना एक विवेकाधीन राहत है-इस तरह के विवेकाधिकार का
प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि निश्चित रूप से-जमानत देना मामले के
प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करता है और मामला दर मामला अलग-अलग हो सकता है-
जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए कोई विस्तृत मापदंड नहीं हो सकते हैं-
हालांकि, जमानत देते समय अदालत को आरोपों की प्रकृति, सजा की गंभीरता, यदि आरोपों
में दोषसिद्धि और आरोपों के समर्थन में सबूत की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है-गवाहों के
साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या वादी के लिए खतरा होने की आशंका-आरोप के समर्थन
में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि-अभियोजन की अक्षमता पर हमेशा विचार किया जाना
चाहिए और यह केवल निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है -[पैरा 12]

जमानत-जमानत की मंजूरी रद्द करना-जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

आयोजित किया गया:ठोस और भारी परिस्थितियों की उपस्थिति होनी चाहिए-एक बार दी
गई जमानत को यांत्रिक **471** में रद्द नहीं किया जा सकता है।

भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और एक अन्य
'472 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इस बात पर विचार किए बिना कि क्या किसी भी पर्यवेक्षी परिस्थिति ने निष्पक्ष सुनवाई की
अनुमति देने के लिए इसे प्रेरित किया है-प्रत्येक मामले में अपने लिए विशिष्ट तथ्य होंगे और
यह जमानत मामलों के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें इसे रद्द करना भी शामिल है-

ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां हस्तक्षेप या न्याय के प्रशासन के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का प्रयास या चोरी या न्याय के उचित पाठ्यक्रम से बचने का प्रयास किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग हो सकता है।[पैरा 13,16]

विलम्ब/विलंब-अभियोजन पक्ष के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में एक वर्ष से अधिक की विलम्ब-प्रभाव:

आयोजित किया गया: विलम्ब अपने आप अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा और इस तरह की विलम्ब के कारण घटना से जुड़ी आपराधिकता गायब नहीं होगी या समाप्त नहीं होगी-यह सब उन तथ्यों पर निर्भर करता है जो दी गई परिस्थितियों में सामने आ सकते हैं और वे मामले-दर-मामले अलग-अलग होंगे-यदि अभियोजन पक्ष अपने मामले को चरण-दर-चरण सुधारने का प्रयास करता है और अंतराल अवधि के दौरान चरण-दर-चरण सुधार करने का प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त को यह तर्क देने में न्यायसंगत ठहराया जाएगा कि विलम्ब घातक था।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @पप्पु यादव और एक अन्य (2004) 7 एससीसी 528; दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1

एससीसी 349:[1994] 6 पूरकाएस. सी. आर. 69; कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह (1996) 4 एस. सी. सी. 693; XXX बनाम तेलंगाना राज्य (2018) 16 एस. सी. सी. 511:[2018] 4 एससीआर

466; विपिन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 854; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह, (2002) 3 एससीसी 598:[2002] 2 एससीआर 526; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और एक अन्य (2010) 14

एससीसी 496:[2010] 12 एस. सी. आर. 1165-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 2560।

2023 के एस. बी. सी. आर. एम. बी. ए. सं. 1540 में जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2561।

रूप:

अनुज भंडारी, गौरव जैन, रजत गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. के. सिन्हा, सुश्री सीमा कश्यप, शुभम कश्यप, विवेक जैन, भृगु शर्मा, पुनीत परिहार, सुश्री हनी कुंभट, अभिनव जैन, रजत जैन, विशाल मेघवाल, मिलिंद कुमार, जगदीश चंद सोलंकी, सुश्री याशिका बुम, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अरविंद कुमार, जे।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपीलें राजस्थान, जयपुर में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2023 के एस. बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन में पारित आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1873 की धारा 439 (संक्षेप में 'Cr.P.C') के तहत संबंधित अपीलों में प्रथम प्रत्यर्थी के नेतृत्व में आवेदनों को अनुमति दी गई है और उन्हें प्राथमिकी के संबंध में उनकी उपस्थिति के लिए Rs.50,000/- की दो प्रतिभूतियों के साथ 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) की राशि का व्यक्तिगत मुचलका जमा करने पर जमानत दी गई है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

3. अपीलार्थी (मूल शिकायतकर्ता) नाबालिग लड़की का चाचा है, जिसने अधिकार क्षेत्र की पुलिस में 2022 की एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें सामूहिक बलात्कार, बलात्कार का वीडियो रिकॉर्ड करने की धमकी और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 डी, 384 और 506 के तहत दर्ज की गई है, जिसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 से 6 और आई. टी. अधिनियम की धारा 66 डी के साथ पढ़ा जाता है। उक्त प्राथमिकी विवेक, दीपक और नेतराम के खिलाफ दर्ज की गई थी।

473

भागवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और अन्य
[अरविंद कुमार, जे.] 474

4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि 15 साल और छह महीने की नाबालिग लड़की "XXX" कक्षा-X में पढ़ रही थी और विवेक नाम के एक लड़के से परिचित हुई थी और उसने नाबालिग लड़की को बहकाया और उसे 24 फरवरी, 2021 को समलेती पैलेस होटल, मंडावर रोड, महवा ले गया और उसने अपने दोस्तों दीपक और नेतराम के साथ मिलकर नशीली दवा देने के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और घटना का वीडियो बनाया। यह आरोप लगाया गया था कि उन सभी ने उसे धमकी दी थी कि वह उक्त घटना का खुलासा न करे अन्यथा वे उसके पिता को खत्म कर देंगे और भाई वीडियो को वायरल कर देंगे। शिकायत में आगे यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने घोषणा की और

उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा क्योंकि वे शक्तिशाली थे और इस तरह नाबालिग लड़की डर गई और वीडियो प्रसारित होने की धमकी के कारण उसने अपनी मां के सोने के गहने विवेक को दिए, जैसा कि उसने निर्देश दिया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि विवेक ने वीडियो वायरल होने की धमकी देते हुए उसके साथ फिर से बलात्कार किया था और उससे पैसे निकाल रहा था। आरोप था कि उसी होटल में उसके साथ 4-5 बार बलात्कार किया गया और वह कमजोर और बीमार हो गई। हालाँकि उसके पिता और माँ ने पूछताछ की थी, लेकिन उसने डर के कारण कुछ भी नहीं बताया था। यह भी आरोप लगाया गया कि 2 मई, 2021 को उसके बड़े भाई की बेटी की शादी हुई और पूरा परिवार व्यस्त था और उस समय उन्होंने नाबालिग लड़की पर दबाव बनाकर विवेक और उसके साथियों को घर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया और शादी के लिए रखे गहने विवेक और उसके साथी ले गए। इस संबंध में यह आरोप लगाया गया था कि नाबालिग लड़की की मां ने रैनी पुलिस स्टेशन में 2021 की एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह आरोप लगाया गया था कि अनुसंधान के दौरान आरोपी विवेक से पूछताछ की गई और उसने गहने ले जाने की बात कबूल की और उसके बाद वे नाबालिग लड़की को बलात्कार के बारे में खुलासा नहीं करने की धमकी देते रहे अन्यथा वे उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। यह कहा गया है कि 24 मार्च, 2023 को नाबालिग लड़की ने बहुत मेहनत के बाद 24.02.2021 की घटना के बारे में खुलासा किया था और इस तरह की वादी ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

5. अनुसंधान के बाद नेतराम और विवेक के खिलाफ ही आरोप पत्र दायर किया गया। हालाँकि, अधिकार क्षेत्र की अदालत ने दीपक उर्फ दिलीप कुमार उर्फ दीपू के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 376 डीए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दिनांक 1 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया और उसके बाद मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को तलब किया गया है। इस मोड़ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि दीपक के खिलाफ अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को पहले चुनौती दी गई थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उच्च न्यायालय जिसे खारिज कर दिया गया और जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और बाद में याचिका वापस ले ली गई।

6. संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थीगण के नेतृत्व में जमानत देने के आवेदनों को विशेष अदालत द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा 27.06.2022 और 11.01.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। जमानत आवेदन खारिज होने की पृष्ठभूमि में संबंधित अपीलों में प्रथम प्रत्यर्थी ने राजस्थान के उच्च न्यायालय के समक्ष Cr.P.C की धारा 439 के तहत आपराधिक विविध जमानत आवेदनों को प्राथमिकता दी है। दिनांक 06.04.2023 के

विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में राहत प्रदान की और मुकदमे के दौरान दर्ज अभियोजक (पीड़ित) के बयान पर विचार करने और मुकदमे के लिए समय लेने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर बड़ा दिया। जमानत की मंजूरी से व्यथित वादी ने विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

अपीलार्थी की दलीलें (शिकायतकर्ता के लिए)

7. यह तर्क दिया जाता है कि अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराध जघन्य अपराध हैं और न्यूनतम आजीवन कारावास के साथ दंडनीय हैं और इसमें न्यूनतम 20 साल की सजा होती है। वह तर्क देगा कि पीड़िता ने आई. डी. 1 की धारा 161 के साथ-साथ आई. डी. 1 की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया है और उसी को उसके बयान में दोहराया गया है जो अबाधित रहा है और इसलिए, प्रथम दृष्टया, दोषसिद्धि का मामला बनाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि अभियुक्तों में से एक (दीपक) एक मौजूदा विधायक का बेटा है और अगर जमानत पर बढ़ाया जाता है तो मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना बहुत अधिक है; अनुसंधान से यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख के होटल रजिस्टर में प्रविष्टियां गायब हैं; घटना की तारीख पर होटल के सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया है; पीड़ित के स्कूल रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है; पुलिस द्वारा प्राप्त दीपक का टेलीफोन नंबर गलत नंबर है; दीपक का नाम आश्चर्यजनक रूप से आरोप पत्र से गायब हो गया था, हालांकि पीड़ित लड़की ने अनुसंधान से पहले अपने सभी बयानों में दीपक की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था और हालांकि उसका नाम प्राथमिकी में सामने आया था।

8. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नाबालिग लड़की के पिता, जो एक साधारण पुलिस कांस्टेबल हैं, को शिकायत वापस लेने की धमकी दी गई है और अन्य गवाहों को भी धमकी दी जा रही है और इनमें से किसी भी पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप 475 मामले सामने आए हैं।

भागवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और अन्य
[अरविंद कुमार, जे.] 476

जमानत देने के लिए एक गलत आदेश पारित किया जा रहा है। इसलिए, वह उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करता है।

प्रत्यर्थी वकील की दलीलें:

9. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन करेंगी और तर्क देंगी कि कथित घटना की तारीख के एक साल बाद शिकायत दर्ज किए जाने का तथ्य अभियोजन सिद्धांत में एक स्पष्ट दोष था; वह यह भी तर्क देंगी कि अनुसंधान के दौरान यह स्कूल के रिकॉर्ड से पाया गया था जहां पीड़ित घटना

की तारीख को स्कूल में मौजूद थी और प्रथम दृष्टया शिकायत तुच्छ लगती है; अनुसंधान के दौरान प्राप्त आरोपी दिलीप उर्फ दीपक से संबंधित टेलीफोन के डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह घटना की तारीख को घटना स्थल से 40 से 80 किमी दूर पाया गया था और प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियुक्त विवेक अभियोजक को जानता था जैसा कि विवेक द्वारा उसे किए गए विभिन्न कॉल से स्पष्ट होता है और अपने बयान में मुकदमे के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसे विवेक और नेतराम से कॉल आ रहे थे, लेकिन अभियोजक और प्रत्यर्थी नंबर 1-दीपक के बीच कोई संबंध नहीं था। वह यह भी तर्क देगी कि घटना की तारीख यानी 24.02.2021 और 25.03.2022 पर 2022 की प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख के बीच विवेक के खिलाफ आभूषणों की चोरी के संबंध में पीड़ित की मां द्वारा 2021 की एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी और प्रत्यर्थी (दीपक) या अन्य के खिलाफ बलात्कार की कोई फुसफुसाहट नहीं हुई थी और कहा जाता है कि जांच अधिकारी ने आरोपी विवेक से आभूषण बरामद किए थे। घटनाओं की यह श्रृंखला इंगित करती है कि प्रथम प्रत्यर्थी-दीपक का बलात्कार की कथित घटना से कोई दूर का संबंध नहीं था और उसे राजनीतिक हिसाब चुकाने के लिए शामिल किया गया है। इन परिस्थितियों में जांच अधिकारी को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली थी जो प्रथम प्रत्यर्थी (दीपक) के अपराध को इंगित करने के लिए आरोपित की जा सके और इस तरह उसने एक समापन रिपोर्ट का नेतृत्व किया था जबकि अन्य दो अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। वह यह भी तर्क देगी कि प्रथम प्रत्यर्थी (दीपक) कथित अपराध से निर्दोष है और इसलिए, उसने अपीलों को अस्वीकार करने के लिए प्रार्थना की है।

10. नेतराम विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) के लिए विद्वान अधिवक्ता । 2023 के No.6200 ने तर्क दिया है कि 13 महीने की देरी हुई है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

एफ. आई. आर. दर्ज करने में; वह यह भी तर्क देगा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुछ स्वीकार किए हैं जो अभियोजन सिद्धांत में एक छेद को दर्शाते हैं, इसलिए, उसने अपील को खारिज करने की मांग की है। 11. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने संबंधित अपीलों के नेतृत्व में जवाबी मुकदमे में आग्रह किए गए तर्कों को दोहराते हुए, नेतराम के पक्ष में दी गई जमानत को दरकिनार करने या दूसरे शब्दों में, अपील को अनुमति देने और वादी के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया है। जबकि विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) में जमानत का विरोध करने के लिए दायर किए गए जवाबी मामले में। प्रत्यर्थी-दीपक के पक्ष में जमानत देने के आदेश के खिलाफ 2023 का No.6199, राज्य ने वादी के दावे को रोकने के लिए आरोपी दीपक के बचाव और अनुसंधान के दौरान एकत्र की गई सामग्री का वस्तुतः समर्थन किया है। इसलिए, उन्होंने अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया है।

चर्चा और परिणाम:

12. जमानत देना एक विवेकाधीन राहत है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि निश्चित रूप से। जमानत का अनुदान न्यायालय द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करता है और प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकता है। जमानत देने के आवेदन पर विचार करने के लिए कोई विस्तृत मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि;

(क) जमानत देते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, सजा की गंभीरता, यदि आरोपों में दोषसिद्धि और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति जैसे कारकों को ध्यान में रखना होगा;

(ख) गवाहों के शांत होने की उचित आशंका या वादी के लिए खतरा होने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में अदालत के साथ महत्व दिया जाना चाहिए।

(ग) यद्यपि यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाला पूरा साक्ष्य है, लेकिन आरोप के समर्थन में न्यायालय को हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिलनी चाहिए। (घ) अभियोजन की तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में और 477 के रूप में कुछ संदेह होने की स्थिति में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए।

भागवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 478

अभियोजन पक्ष की वास्तविकता के अनुसार, घटनाओं के सामान्य क्रम में, अभियुक्त को जमानत का आदेश प्राप्त करने का अधिकार है।

हम कल्याण में इस न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं।

चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @पप्पु यादव और एक अन्य (2004) 7

एस. सी. सी. 528 जहाँ न्यायालयों द्वारा जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

“11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है। जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए न कि निश्चित रूप से। यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश मन का उपयोग न करने के लिए पर्याप्त होगा। जमानत देने

वाली अदालत के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करे; वे हैं:

(क) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति।

(ख) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या वादी को धमकी की आशंका।

(ग) आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।(राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह [(2002) 3 एस. सी. सी. 598:2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 688] और पूरन बनाम रामबिलास [(2001) 6 एस. सी. सी. 338:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1124])”

13. यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब जमानत की मंजूरी को रद्द करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो ठोस और भारी परिस्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए और एक बार जमानत दिए जाने के बाद इसे यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता है, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या किसी पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने इसे निष्पक्ष सुनवाई की अनुमति देने में सक्षम बनाया है। इस प्रस्ताव का समर्थन मिलता है।

(1995) 1 एस. सी. सी. 349, कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह **(1996) 4 एस. सी. सी. 693** और **XXX** बनाम तेलंगाना राज्य **(2018) 16 एस. सी. सी. 511** में रिपोर्ट किए गए दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

14. दौलत राम के मामले में इस अदालत ने कहा है कि जमानत रद्द करने पर जमानत देने की कार्यवाही की तुलना में अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो जमानत देने के बाद विकसित हो सकती हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए गैर-अनुकूल हैं, जिससे जमानत को रद्द करना आवश्यक हो जाता है और इस सिद्धांत को बार-बार दोहराया गया है और हाल ही में सुश्री एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (उपरोक्त) के निर्णय में।

15. विपिन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य 2021 एस. सी. सी. मामले में यह न्यायालय ऑनलाइन एस. सी. 854 ने उपरोक्त सिद्धांतों में कैविएट जोड़ा है और आगे कहा है कि जमानत को भी रद्द किया जा सकता है जहां अदालत ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया है या रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की है जो जमानत देने के आदेश को कानूनी रूप से असमर्थनीय बनाता है। अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और अनुसंधान की सीमा पर होने पर न्यायालय द्वारा अनुचित संलिप्तता का सामाजिक प्रभाव भी

कुछ स्थितियों में से हैं, जहां एक उच्च न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को मजबूत करने के लिए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। 16. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक मामले में विशिष्ट तथ्य होंगे और यह जमानत के मामलों के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें इसे रद्द करना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ हस्तक्षेप या न्याय के प्रशासन के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का प्रयास या चोरी या न्याय के उचित पाठ्यक्रम से बचने का प्रयास किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग हो सकता है।

17. तत्काल मामले में आरोप लगाया गया अपराध जघन्य है और यह स्त्रीत्व की गरिमा और युगों पुराने सिद्धांत पर एक हमला होगा; = यूके; जेडएलआरक्यू आईडब्ल्यूटी; उर्स जेयर्स आर = एनसोर्क% (जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां भगवान रहते हैं) पृष्ठभूमि में पीछे हट जाएंगे और दोषी को कानून की प्रक्रिया द्वारा दंडित नहीं किया जाता है या आरोपी व्यक्तियों को समाज में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाती है या प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद होने के बावजूद उन्हें अपराध साबित होने से पहले समाज में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जाती है और वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी देने या आपराधिक न्याय प्रणाली को खत्म करने के लिए किसी भी तरह से उन्हें प्रेरित करने में लिप्त होने की संभावना रखते हैं, तो उच्च न्यायालय को आवश्यक रूप से कदम उठाना होगा।

18. राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह, (2002) में यह न्यायालय

3 एस. सी. सी. 598 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

479

भागवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और एक अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 480

“9. निस्संदेह, जमानत देने के लिए लागू विचार और जमानत के ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए विचार स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, लेकिन जमानत देने के उद्देश्य से प्रासंगिक विचारों पर विचार न करने की स्थिति में और रिकॉर्ड पर अस्वीकृति का एक पूर्व आदेश उपलब्ध होने की स्थिति में, उच्च न्यायालय पर यह कर्तव्य है कि वह स्पष्ट रूप से कारणों को बताए कि अनुदान के आदेश में अचानक प्रस्थान क्यों हुआ, जबकि अस्वीकृति लगभग एक महीने पहले हुई थी। बाद की एफ़. आई. आर. रिकॉर्ड में है और उसमें भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323 और 504 के तहत आरोप शामिल हैं जिनमें आरोप पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है-अदालत को उनकी अनदेखी करने के बजाय रिकॉर्ड पर तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी स्थिति में, उपयोग किए जाने वाले विवेकाधिकार को हमेशा सख्ती से कानून के अनुसार होना चाहिए और इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने सोचा कि यह किसी भी कारण को दर्ज करने के लिए नहीं है, किसी भी ठोस कारण से कम, कि क्यों एक प्रस्थान होना चाहिए, जबकि वास्तव में इस तरह की याचिका को बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था। हमारे विचार में जेल में बिताए गए एक वर्ष की

अवधि का विचार जमानत देने के मामले में एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है जिसमें मौत या आजीवन कारावास की सजा है-यह समाज के खिलाफ एक जघन्य अपराध है और इस तरह अदालत को किसी ऐसे मामले में अपने दृष्टिकोण में सावधानी और सावधानी बरतनी चाहिए जो बहुत गंभीर प्रकृति का सामाजिक अपराध है।”19. प्रशांत कुमार सरकार के मामले में भी इस अदालत की यही राय है

बनाम आशीष चटर्जी और एक अन्य (2010) 14 एस. सी. सी. 496 ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“9. हमारी राय है कि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है। यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैं:

((i) क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

((ख) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

((ग) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

((iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा; (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति; (vi) अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना;

((viii) गवाहों को आरोपित किए जाने की उचित आशंका; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत प्रदान करके न्याय को विफल किए जाने का खतरा।”20. कानून के उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए जब हम तथ्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी कि उच्च न्यायालय मुख्य रूप से इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है, यानी अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में जमानत देने के लिए 13 महीने, अर्थात् संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थागण। शिकायत में लगाया गया आरोप दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल की छह महीने की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। उसके पिता के पुलिस कांस्टेबल होने का तथ्य जो सेवा के पदानुक्रम

में बहुत नीचे है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिन प्रत्यर्थीगण के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उनमें से एक विधायक का बेटा है। एक अन्य आरोपी-विवेक का आपराधिक इतिहास प्रतीत होता है और तीसरा आरोपी उस होटल का प्रबंधक है जहाँ सामूहिक बलात्कार की कथित घटना हुई थी। अनुसंधान पर, केवल दो अभियुक्तों, विवेक और नेतराम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, हालाँकि शिकायत में दीपक के खिलाफ बलात्कार का एक विशेष आरोप लगाया गया है जिसे हटा दिया गया है। यह इस पृष्ठभूमि में है, वादी के कहने पर, अधिकार क्षेत्र की अदालत ने दीपक के खिलाफ दिनांकित 09.06.2022 के आदेश का संज्ञान लिया और इस आदेश को 2022 के आपराधिक संशोधन No.979 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसे दिनांकित 13.07.2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था और 2022 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) No.9458 में इसे चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को 03.02.2022 पर वापस ले लिया गया था। इस प्रकार, दीपक के खिलाफ क्षेत्राधिकार वाले सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को वास्तविकता प्राप्त हो गई है।

21. इस पृष्ठभूमि में, विलंब के तर्क या याचिका की जांच करने पर अभियोजन पक्ष के लिए घातक होने के कारण, यह प्रथम दृष्टया इंगित करेगा कि शिकायत/एफ. आई. आर. जो 25.03.2022 पर दर्ज की गई है, दिनांक 24.02.2021 की घटना से संबंधित है, उसका कारण निर्दिष्ट किया गया है, जिसका नाम स्थिरांक 481 है।

भागवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और अन्य [अरविंद कुमार, जे.] 482

जैसा कि शिकायत में ही कहा गया है, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दी गई धमकी। इस पृष्ठभूमि में यह देखना होगा कि क्या सामाजिक परिस्थितियों में नाबालिग लड़की को रखा गया था, उसकी कम उम्र, फिर मौजूदा परिस्थितियाँ और उसकी नग्नता को दर्शाने वाला कथित वीडियो और बलात्कार के वीडियो के पीड़ित को लगातार दी जा रही धमकी, जिसे अभियोजक द्वारा किसी को भी घटना के बारे में सूचित करने की स्थिति में वायरल किया जा रहा था, ऐसे कारक हैं जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप शिकायत दर्ज करने में देरी हुई। दूसरे शब्दों में, देरी अपने आप में आने वाले सभी समय के लिए घातक नहीं होगी और घटना से जुड़ी आपराधिकता हवा में वाष्पित नहीं होगी या इस तरह की देरी के कारण समाप्त नहीं होगी। यह सब उन तथ्यों पर निर्भर करता है जो दी गई परिस्थितियों में सामने आ सकते हैं और यह हर मामले में अलग-अलग होगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन पक्ष अंतराल अवधि के दौरान चरण-दर-चरण और चरण-दर-चरण अपने मामले में सुधार करने का प्रयास करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त को यह तर्क देते हुए न्यायसंगत ठहराया जाएगा कि देरी ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रोकने के लिए घातक थी। इस प्रकार, यह उन तथ्यों पर निर्भर करता है जो किसी दिए गए मामले में सामने आएं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में तत्काल मामले में देरी के तथ्य को अभियोजन

पक्ष के खिलाफ प्रथम दृष्टया या दूसरे शब्दों में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर नहीं माना जा सकता है, शिकायत की वास्तविकता को रंगीन चश्मे से नहीं देखा जा सकता है और न ही यह माना जा सकता है कि आरोपी को जमानत पर बढ़ाने के लिए अपने आप में पर्याप्त आधार होगा।

22. तत्काल मामले में आरोपी, अर्थात् दीपक को अधिकार क्षेत्र की सत्र अदालत ने 09.01.2023 पर गिरफ्तारी वारंट निष्पादित करके गिरफ्तार किया था। निचली अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद भी उन्होंने आरोप पत्र दायर होने के बाद शुरू में आत्मसमर्पण नहीं किया या अनुसंधान में भाग नहीं लिया।

23. यह तथ्य कि आरोपी दीपक मौजूदा विधायक का बेटा है, न केवल कार्यवाही में देरी करने के लिए बल्कि गवाहों पर दबाव बनाने के लिए कि वे या तो अनुसंधान के दौरान दिए गए अपने बयान से पीछे हटें या उन्हें धमकी दें कि वे आरोपी के खिलाफ उसके आदेशों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने पर गवाही दें या उन्हें उसके आदेशों के अनुसार गवाही देने के लिए प्रेरित करें या आरोपी के बचाव में मदद करें।

24. अभियोजक ने संबंधित अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं और यह स्पष्ट रूप से पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

शिकायत के साथ-साथ अभियोजक की गवाही कि अभियुक्त व्यक्तियों ने वास्तव में सामूहिक बलात्कार में भाग लिया था। वह यह भी बताती है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर वह कथित बलात्कार की घटना के बारे में परिवार के किसी सदस्य को बताएगी, तो वे बलात्कार का वीडियो वायरल कर देंगे। सामूहिक बलात्कार के लिए दर्ज प्राथमिकी की अनुसंधान के दौरान, यह पाया गया कि घटना की तारीख से संबंधित होटल समलेती पैलेस में रखी गई प्रविष्टियां विशिष्ट रूप से गायब थीं; होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में हालांकि घटना की तारीख का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं था; विवेक ने अभियोजक को कई बार फोन किया था और कई संदेशों का आदान-प्रदान किया था; विवेक और नेतराम नियमित रूप से फोन पर संपर्क में थे और घटना के बाद, आरोपी दीपक को आरोप पत्र से केवल इस आधार पर हटा दिया गया था कि अनुसंधान अधिकारियों को दिए गए उसके मोबाइल के कॉल विवरण में उस विशेष तारीख को घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति का खुलासा नहीं किया गया था और इसलिए आरोप पत्र केवल विवेक और नेतराम के खिलाफ दायर किया गया था। अभियोजक ने आई. डी. 1 की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज अपने बयान में सामूहिक बलात्कार की घटना में भाग लेने वाले दीपक का भी नाम लिया था और एफ. आई. आर. में भी उसका नाम लिया था। यह केवल Cr.P.C की धारा 190-193 के तहत शिकायत के नेतृत्व में आवेदन के बल पर है, निचली अदालत ने दीपक के खिलाफ धारा 376 डी और पॉक्सो अधिनियम की

धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया और कहा कि आदेश वास्तविकता में पहुंच गया है, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है।

25. शिकायतकर्ता की शिकायत यह रही है कि दीपक अभियोजक और अन्य गवाहों को धमकी दे रहा था और यदि वे सच्चाई के सामने गवाही देते हैं तो उनकी जान को खतरा होने की पूरी संभावना है, और इस तरह की आशंका उचित है, विशेष रूप से क्योंकि आरोपी दबंग स्थिति में है। वादी गवाहों पर प्रभाव डालने की संभावना को रेखांकित करता है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि अभियोजक की गवाही दर्ज करने के बाद भी अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह सुनवाई की नौ से अधिक तारीखें बीत जाने के बावजूद गवाही देने के लिए आगे नहीं आए हैं, वादी की आशंका को विश्वास दिलाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के अनुरोध पर विचार करते समय इन बुनियादी तथ्यों पर विचार नहीं करने में गलती की है, जिसमें पहले से ही ऊपर देखी गई सुस्थापित न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखा गया है। कि अदालत ने आरोप तय किए हैं, प्रथम दृष्टया आरोपी के दोषी होने की संभावना और उचित संदेह का खुलासा करता है।

483

भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार @डी. ई. पी. यू. @डी. ई. पी. ए. के. और अन्य
[अरविंद कुमार, जे.]

26. न्यायालयों ने किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उच्च स्तर पर रखा है और जब भी और जहां भी आवश्यकता हो, ऐसे अधिकारों को संरक्षण दिया है। उसी विस्तार में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक निष्पक्ष परीक्षण जमानत की आवश्यकता के साथ इसे संतुलित करते हुए देने के लिए कारण प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया गया है, भले ही ऐसा तर्क संक्षिप्त हो।

27. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम देखते हैं कि जमानत देने का विवादित आदेश न केवल उन सामग्री विवरणों से रहित है जो जमानत देने को उचित ठहराते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय देरी के आधार पर प्रभावित हुआ है और अनुसंधान के दौरान वीडियो बरामद नहीं किया गया है और उसने प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और आई. डी. 1 की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए बयान को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है।

28. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने की आवश्यकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। हम एतद्वारा निर्देश देते हैं कि अभियुक्त/प्रतिवादी आज से दो सप्ताह के भीतर अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि वे शेष गवाहों के साक्ष्य/बयान दर्ज होने के बाद जमानत लेने के लिए स्वतंत्र होंगे और इस तरह के आवेदन के नेतृत्व की स्थिति में, उच्च न्यायालय अपने गुण-दोष के आधार पर और ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना इस पर विचार करेगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अधिकारिता वाला न्यायालय ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा और वर्तमान कार्यवाही तक सीमित है। तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन